पत्रांक–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9441 .... / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

पटना, दिनांक 23/6/2026

विषयः– **ग्राम पंचायत चाँदचौर करिहारा, प्रखंड–उजियारपुर के उपमुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बिन्दु पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **आपका पत्रांक–1309 दिनांक 28.03.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत चाँदचौर करिहारा, प्रखंड–उजियारपुर के उपमुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग, पटना को निर्वाचन की तिथि के निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अविश्वास संबंधी अध्यपेक्षा एवं बैठक की सूचना पत्र नियमानुसार नहीं रहने, बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा किये जाने न कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से नामित सदस्य द्वारा करने तथा अन्य कारण से संबंधित त्रुटि रहने के कारण तिथि निर्धारण नहीं किया गया। इस बिन्दु पर विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

इस संदर्भ में कहना है कि वर्णित मामले से संबंधित उपमुखिया को अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने की प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दूषित हो गई है तथा ऐसी स्थिति में उपमुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का फलाफल शून्य माना जाएगा। अर्थात् उपमुखिया अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपमुखिया के पद पर निर्वाचन नहीं कराने का निर्णय पूर्णतः वैधानिक निर्णय है।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9441 .... / पं०रा० पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\BALRAM\LETTER.docx

ज्ञापांक:–2प / वि०–17–43 / 2024 / 9491....../पं०रा०   पटना, दिनांक 23 / 6 / 2024
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजिर हुसैन)
अपर सचिव